**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालय**

**राजस्‍व विभाग**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 250**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 01 दिसम्‍बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

**विदेशी परिसंपत्तियों का खुलासा**

**250. श्री डी.राजा:**

 क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि सरकार को 30 सितम्‍बर, 2015, जो कि काले धन संबंधी इसके नए कानून के अंतर्गत अवसर का लाभ उठाने की अंतिम तिथि है, तक 638 स्‍थानों से 3700 करोड़ रुपये की गुप्‍त विदेशी परिसंपत्तियां प्राप्‍त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस योजना के प्रति लोगों की त्‍वरित प्रतिक्रिया के संबंध में सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) दिनांक 30.9.2015 तक, जो कि नये बनाये गए काला धन/अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दी गई ऐसी एक बारगी घोषणा किये जाने की सुविधा के अंतर्गत फाइल किये जाने की अंतिम तारीख थी, कुल 635 घोषणाकत्‍ताओं ने 4160 करोड़ रुपये मूल्‍य के अघोषित विदेशी परिसंपत्ति की घोषणा की है।

(ख) काला धन (अघोषित आय एवं विदेशी परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अध्‍याय-VI के अंतर्गत घोषणाकर्त्‍ताओं को, इस अध्‍याय में दी गई कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने अघोषित विदेशी परिसंपत्ति की एक बारगी घोषणा 1 जुलाई, 2015 से 30 सितम्‍बर, 2015 के दौरान कर सकते है। ऐसे घोषणाकर्त्‍ताओं के लिए जरुरी है कि वे ऐसी अघोषित परिसंपत्ति के दिनांक 1.7.2015 तक के मूल्‍य का 30 प्रतिशत कर के रुप में और फिर ऐसी अघोषित परिसंपत्ति के 1.7.2015 तक के मूल्‍य का 30 प्रतिशत शास्ति के रुप में 31 दिसम्‍बर, 2015 को या उसके पहले भुगतान कर दें। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के साथ पठित काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के अंतर्गत दिए गये प्रावधानों को छोड़कर अन्‍य किसी प्रावधान के तहत ऐसे विशेष करदाताओं के बारे में जानकारी को प्रकट करना निषेध है। उपर्युक्‍त नये कानून में अन्‍य बातों के अलावा ऐसे अघोषित आय एवं परिसंपत्ति के बारे में दंड और अभियोजन से संबंधित सख्‍त प्रावधान किए गये है। इस नये कानून के अंतर्गत किसी कर, किसी कर शास्‍त‍ि अथवा ब्‍याज जिसका की इसकी धारा 51 में उल्‍लेख किया गया है, का अपवंचन करने के लिए जानबूझ कर किए जाने वाले प्रयास को धन आशोधन निवारक अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उल्लिखित किसी अनुसूचित अपराध की तरह ही, अपराध माना गया है।

----------